रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 215] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 5, 2015/ ज्येष्ठ 15, 1937
No. 215] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 5, 2015/ JYAISTHA 15, 1937

## स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

**(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)**

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2015

**फा. सं. 1-99/4/एसपी(संदूषक)/एफएसएसएआई/2014.**—भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 20 और धारा 21 के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (**झ**) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, उक्त उपधारा (2) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

आक्षेप और सुझाव, यदि कोई हों, को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य और ओषध प्रशासन भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को भेजा जा सकेगा।

आक्षेप और सुझाव, जो उक्त प्रारूप विनियमों के सबंध में इस प्रकार उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, खाद्य प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा ;

## प्रारुप विनियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) (संशोधन) विनियम, 2015 है

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम, 2011 के 'धातु संदूषक' से संबंधित विनियम 2.1 में,

(क) उपविनियम 2.1.1 की सारणी के खंड 2 में,--

(1) क्रोमियम से संबंधित क्रम सं. 9 के सामने स्तंभ (2) और स्तंभ (3) में विद्यमान प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| | "जिलेटिन | 10" । |

युद्धवीर सिंह मलिक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./187-ओ/15(101)]

**टिप्पण :** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्यांक एफ 2-15015/30/2010 तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चातवर्ती संशोधन फा. सं. 1-12/एससीआई.पैनल/(अधिसूचना)/एफएसएसएआई/2012 तारीख 3 दिसंबर, 2014 द्वारा किया गया ।

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

## (Food Safety and Standards Authority of India)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 5th June, 2015

**F.No. 1-99/4/SP(Contaminants)/FSSAI/2014.—**The following draft of certain regulations, further to amend the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011, which the Food Safety and Standards Authority of India, with previous approval of the Central Government, proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (2) of section 92 read with section 20 and 21 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) is hereby published as required by the said sub-section (2), for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of the period of sixty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, duly supported by scientific evidence, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, Food and Drug Administration Bhawan, Kotla Road, New Delhi-110002;

The objections and suggestions which may be received from any person with respect to the said draft regulation before the expiry of the period so specified will be considered by the Food Authority.

### Draft Regulations

1. Short title and commencement.- (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) (Amendment) Regulations, 2015.

2. In the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011, in regulation 2.1 relating to 'Metal Contaminants', -

(a) in sub-regulation 2.1.1, in clause (2), in the Table,-

(1) against serial number 9 relating to Chromium, in columns (2) and (3), after the existing entries, the following entries shall respectively be inserted, namely,-

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| | "Gelatin | 10". |

YUDHVIR SINGH MALIK, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./187-O/15(101)]

**Note:—**The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended vide F. No. 1-12/Sci.panel/(Notification)/FSSAI/2012 dated the 3rd December, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.